FORM No. 111
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज्ञ अदालत– उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा मुकाम-- भीलवाडा जिला भीलवाडा

उनवान

नारूनाथ बनाम शंकरलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम नियम 2 (ग) व 151 वादपत्र / प्रा0प0 मु0नं0 811/2024

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/8/24	बाद जांच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 22/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा	
22/8/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 25/9/24 को पेश हो। आदेश से रीडर	
25/9/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 18/12/24 को पेश हो। आदेश से रीडर	
21/10/24	पत्रावली फूलवाद प्रकरण में वरीष्ठ कुनबी अभिभाषक उपस्थित करने से तलब की गई। प्रकरण फूलवाद के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु दि० 23/10/24 को पेश हो।	
23/10/24	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अभिभाषक उपस्थित है। प्रतिवादी अभिभाषक उपस्थित एवं पैरोकार सरपंच उपस्थित है। फूलवाद में विड्डो के आधार पर एवं वादी द्वारा आगे कार्यवाही नही चाहने से फूल वाद प्रकरण विड्डो के आधार पर खारिज किया जा चुका है। इस प्रकरण में पैरोकार सरपंच द्वारा कोई कार्यवाही की ही नही रद्द जाने की टिप्पणी अंकित कर दिये जाने से इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही शेष नही रहने से प्रकरण में कार्यवाही डीपकी जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	नारूनाथ no objection

पैरोकार सरपंच 23-10-24 टिप्पणी पुस्ट पर अंकित है।